The Madhya Pradesh Vexatious Litigation (Prevention) Act, 2015

Act 18 of 2015

Keyword(s):
Vexatious Litigation, prevention, Litigation

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 351] भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 अगस्त 2015—भाद्र 4, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2015

क्र. 5293-269-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 अगस्त, 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १८ सन् २०१५

मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) अधिनियम, २०१५

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. किन्हीं सिविल अथवा आपराधिक कार्यवाहियों को संस्थित किए जाने अथवा जारी रखे जाने के लिए तंग करने वाला मुकदमा लगाने वाले वादी को न्यायालय की अनुमति का आवश्यक होना.

३. अनुमति के बिना संस्थित की गई या जारी रखी गई कार्यवाहियों का खारिज किया जाना.

४. परिसीमा की कालावधि की संगणना के लिये अनुमति प्राप्त करने हेतु अपेक्षित समय का अपवर्जन.

५. नियम बनाने की शक्ति.

६. व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०१५

मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) अधिनियम, २०१५

[दिनांक २६ अगस्त, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २६ अगस्त, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

न्यायालयों में तंग करने वाली कार्यवाहियों का संस्थित किया जाना अथवा उन्हें जारी रखे जाने का निवारण करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) अधिनियम, २०१५ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

किन्हीं सिविल अथवा आपराधिक कार्यवाहियों को संस्थित किए जाने अथवा जारी रखे जाने के लिये तंग करने वाला मुकदमा लगाने वाले वादी को न्यायालय की अनुमति का आवश्यक होना.

२. (१) यदि महाधिवक्ता द्वारा किए गए किसी आवेदन पर उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने आदतन तथा बिना किसी युक्तियुक्त आधार के किसी न्यायालय में या न्यायालयों में एक ही व्यक्ति के अथवा विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध तंग करने वाली सिविल या आपराधिक कार्यवाहियां संस्थित की हैं तो उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को सुने जाने के पश्चात् या उसे सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् आदेश दे सकेगा कि उसके द्वारा किसी भी न्यायालय में, सिविल या आपराधिक कोई भी कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जाएंगी (और यह भी कि आदेश के पूर्व उसके द्वारा किसी भी न्यायालय में संस्थित की गई कोई विधिक कार्यवाही उसके द्वारा जारी नहीं रखी जाएगी),—

(क) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना; और

(ख) राज्य में अन्यत्र, जिला और सेशन न्यायाधीश की अनुमति के बिना.

ऐसे किसी आवेदन की सुनवाई पर महाधिवक्ता किसी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकेंगे.

(२) ऐसी अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि यथास्थिति उच्च न्यायालय अथवा न्यायाधीश का समाधान नहीं हो जाता है कि कार्यवाहियां न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग में नहीं हैं और यह कि कार्यवाहियों के लिए प्रथमदृष्टया आधार है.

(३) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कि उपधारा (१) के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी आदेश की विषय-वस्तु हो, कार्यवाहियां संस्थित किए जाने या उन्हें जारी रखे जाने की अनुमति देने से इंकार करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी:

परन्तु इस उपधारा में की कोई भी बात किसी ऐसी अपील को, अथवा किसी ऐसी कार्यवाही को लागू नहीं होगी जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष की जाना है.

(४) यदि उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति, जिसके कि विरुद्ध उपधारा (१) के अधीन कोई आवेदन किया गया है, निर्धनता के कारण किसी अधिवक्ता को नियोजित करने में असमर्थ है तो उच्च न्यायालय उसकी ओर से उपस्थित होने के लिये किसी अधिवक्ता को नियोजित कर सकेगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये "अधिवक्ता" का वही अर्थ होगा जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) की धारा २ के खण्ड (१५) में है.

(५) उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति को कार्यवाहियां संस्थित करने या उन्हें जारी रखने के पूर्व अनुमति प्राप्त करने के निदेश देने वाले प्रत्येक आदेश को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसी अन्य रीति में भी प्रकाशित किया जा सकेगा जैसा कि उच्च न्यायालय उचित समझे.

अनुमति के बिना संस्थित की गई या जारी रखी गई कार्यवाहियों का खारिज किया जाना.

३. किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके कि विरुद्ध अंतिम पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश किया गया है, उस धारा में निर्दिष्ट अनुमति प्राप्त किए बिना किसी न्यायालय में संस्थित की गईं या जारी रखी गईं कार्यवाहियां, न्यायालय द्वारा खारिज कर दी जाएंगी:

परंतु यह धारा ऐसी अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये संस्थित किन्हीं कार्यवाहियों को लागू नहीं होगी.

परिसीमा की कालावधि की संगणना के लिये अनुमति प्राप्त करने हेतु अपेक्षित समय का अपवर्जन.

४. जहां कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा २ की उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश किया गया है, किसी कार्यवाही को संस्थित किए जाने की अनुमति के लिये आवेदन करता है, तो आवेदन का विनिश्चय करने के लिये यथास्थिति, उच्च न्यायालय अथवा न्यायाधीश द्वारा अपेक्षित समय, ऐसी कार्यवाहियों को संस्थित करने के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विहित परिसीमा की कालावधि (यदि कोई हो) की संगणना में अपवर्जित कर दिया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—ऐसे समय को अपवर्जित करने में, वह तारीख जिसको कि अनुमति के लिये समुचित प्राधिकारी को आवेदन किया गया था तथा वह तारीख जिसको कि ऐसे प्राधिकारी ने आवेदन पर उसका आदेश किया है, दोनों की गणना की जाएगी.

नियम बनाने की शक्ति.

५. उच्च न्यायालय इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगा.

व्यावृत्ति.

६. इस अधिनियम के उपबंध, तंग करने वाली कार्यवाहियों या विधिक प्रक्रिया के अन्य दुरुपयोग का निवारण करने के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अथवा उन कार्यवाहियों के, जिन्हें कि किए जाने, संस्थित अथवा जारी रखे जाने के लिये किसी अन्य प्राधिकारी की मंजूरी अथवा अनुमोदन चाहे वह किसी भी रूप में हो, आवश्यक हो, अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकारक.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2015

क्र. 5294-269-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 18 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 18 OF 2015

THE MADHYA PRADESH VEXATIOUS LITIGATION (PREVENTION) ACT, 2015

TABLE OF CONTENTS

Section :

1. Short title, extent and commencement.
2. Leave of Court necessary for vexatious litigant to institute or continue any civil or criminal proceedings.
3. Proceedings instituted or continued without leave to be dismissed.
4. Exclusion of time required for obtaining leave, for computation of limitation period.
5. Power to make rules.
6. Saving.

MADHYA PRADESH ACT

No. 18 OF 2015

THE MADHYA PRADESH VEXATIOUS LITIGATION (PREVENTION) ACT, 2015

[Received the assent of the Governor on the 26th August, 2015; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 26th August, 2015].

An Act to prevent the institution or continuance of vexatious proceedings in courts.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-sixth year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vexatious Litigation (Prevention) Act, 2015.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Leave of Court necessary for vexatious litigant to institute or continue any civil or criminal proceedings.

2. (1) If, on an application made by the Advocate General the High Court is satisfied that any person has habitually and without any reasonable ground instituted vexatious proceedings, civil or criminal, in any Court or Courts, whether against the same person or against different persons, the High Court may, after hearing that person or giving him an opportunity of being heard, order that no proceedings, civil or criminal, shall be instituted by him in any Court (and that any legal proceeding instituted by him in any Court before the order shall not be continued by him).—

(a) in the High Court of Madhya Pradesh without the leave of the High Court; and

(b) elsewhere in the State, without the leave of the District and Sessions Judge.

At the hearing of any such application, the Advocate General may appear through a pleader.

(2) Such leave shall not be given unless the High Court or the Judge, as the case may be, is satisfied that the proceedings are not an abuse of the process of the court and that there is prima facie ground for the proceedings.

(3) No appeal shall lie against an order refusing leave for institution or Continuance of any proceedings by a person who is the subject of an order for the time being in force under sub-section (1) :

Provided that nothing in this sub-section shall apply to any appeal which may lie to or any proceeding before the Supreme Court.

(4) If it appears to the High Court that the person against whom an application is made under sub-section (1), is unable, on account of poverty, to engage a pleader, the High Court may engage a pleader to appear for him.

Explanation.—For the purpose of this section, "pleader" has the same meaning as in clause (15) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908).

(5) Every order made under sub-section (1) directing any person to obtain leave before instituting or continuing proceedings shall be published in the official Gazette and may also be published in such other manner as the High Court thinks fit.

Proceedings instituted or continued without leave to be dismissed.

3. Any proceeding instituted or continued in any Court by a person against whom an order under sub-section (1) of the last preceding section has been made, without obtaining the leave referred to in that section, shall be dismissed by the Court :

Provided that this section shall not apply to any proceeding instituted for the purpose of obtaining such leave.

Exclusion of time required for obtaining leave, for computation of limitation period.

4. Where a person, against whom an order under sub-section (1) of Section 2 has been made applies for leave for institution of any proceeding, the time required by the High Court or the Judge, as the case may be, for deciding the application shall be excluded in computing the period of limitation (if any) prescribed under any law for the time being in force for instituting such proceedings.

Explanation.—In excluding such time, the date on which the application for leave was made to the proper authority and the date on which such authority made its order on the application shall both be counted.

Power to make rules.

5. The High Court may make rules for carrying out the purposes of this Act.

Saving.

6. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force for prevention of vexatious preceedings or other abuse of legal process, or which require consent, sanction or approval in any form of any other authority for the institution or continuance of any proceeding.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.